न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

प्रकरण संख्या – 01 / 19

दायर दिनांक :– 04.01.2019

1.भंवरलाल पिता गौतम जी जाति मीणा निवासी हमचाखेडी
2.मोहनलाल पिता गौतम जी जाति मीणा निवासी हमचाखेडी
3.मांगीलाल पिता गौतम जी जाति मीणा निवासी हमचाखेडी

–प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1.भागीरथ पिता देवराम जी जाति कुम्हार निवासी बेडमा
2.रामेश्वर पिता देवराम जी जाति कुम्हार निवासी बेडमा
3.लालु पिता मन्ना जी जाति मीणा निवासी बेडमा
4.उंकार पिता भेरा जी जाति मीणा निवासी बेडमा
5.चंदा बाई पत्नी नंदलाल जाति मीणा निवासी हमचाखेडी
6.तहसीलदार अरनोद

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित :– 1.श्री अर्जुन वैष्णव अभिभाषक प्रार्थी
2.श्री नन्दलाल मीणा अभिभाषक अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक –05.04.22

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है की मोजा हमचाखेडी पटवार हल्का बेडमा के खाता स. 11 मे स्थित आराजी नम्बर 76 रकबा 0.63 है. प्रार्थीगणो के नाम रिकार्ड दर्ज है उक्त आराजी पर विपक्षीगणो द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था। जिस पर प्रार्थीगणो ने विपक्षीगणो को कहा तो आना–कानी करने लगे। तब प्रार्थीगणो ने माननीय न्यायालय मे धारा 111–128 का वास्ते पत्थरगढी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.5.2018 को निर्णय पारित कर उक्त वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढी का आदेश किया गया। पत्थरगढी के आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार अरनोद को आदेशित किया गया था। जिसकी पालना मे दिनांक 09.06.18 को भू.अ.नि. के नेतृत्व मे पत्थरगढी हेतु मोका देखा गया एवं विपक्षीगणो द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा पाया गया एवं पर्चे मोके मे गिरदावर सा. द्वारा उनकी टिप्पणी मे नियत दिनांक को पत्थरगढी करने हेतु मोके पर पहुचे तथा विपक्षीगण की उपस्थिति मे मोके पर पहुंचे पर प्रार्थीगण का कब्जा नही पाया गया तथा सभी भूमि दोनो तरफ पडोसी खातेदारन के कब्जे मे है बीच मे रास्ता निकलता है मोके पर विवाद होने की संभावना होने के कारण जरिफ नही चलाई गई। उक्त बाबत् प्रार्थीगण विपक्षीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हुए। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना हुआ। उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही है, लेकिन विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया और अब उक्त आराजी को छोडने के लिए तैयार नही है। प्रार्थीगण अधिकारी है कि मौजा हमजाखेडी प.ह. बेडमा के आ.नं. 76 रकबा 0.63है. पर विपक्षीगण को बेदखल कराया जावे एवं उक्त आराजी का प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जावे एवं विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर अवैध कब्जा न करे और प्रार्थीगण से लडाई झगडा न करे एवं न ही किसी नौकर एजेन्ट इत्यादि से करावे। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण कि ओर से अधिवक्ता श्री नन्दलाल मीणा उपस्थित हुए एवं विपक्षीगण की ओर से जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया। शामिल फाईल किया गया। पत्रावली बहस से नियत की जाकर अधिवक्ता पक्षकारन की बहस सुनी जाकर आदेश मे नियत की गई।

हमने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन व गहन अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता पक्षकारन की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तत्थो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा हमजाखेडी प.ह. बेडमा के आ.नं. 76 रकबा 0.63है. प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व टीम द्वारा पत्थरगढी हेतु गये। लेकिन विपक्षीगण द्वारा मोके पर लडाई–झगडा कर पत्थरगढी नही करने दी गई है। उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है एवं विपक्षीगण उक्त आराजी को लेकर लडाई–झगडा करने पर उतारू है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा नही करे मदाखलत मजाहमद नही करे एवं न किसी से करावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया की उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपनी नाम दर्ज रिकार्ड आराजी पर मोके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की कोई आराजी पर अवैध कब्जा नही किया है। विवाद का मुख्य कारण रास्ता विवाद हुआ है एवं विपक्षीगण का 20–25 वर्ष पूर्व से ही उनके बाप दादाओ के समय से कब्जा चला आ रहा है एवं मोके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है विपक्षीगण का 20–25 वर्ष पुराना कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है एवं उक्त आराजी विपक्षीगण के कब्जे काश्त मे है। और विपक्षीगण ही फसल बोते व लेते आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से वाद पत्र पेश किया है। एवं विपक्षीगण को उक्त आराजी मे काश्त करने मे रोक रूकावट पैदा कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस उपरान्त एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगणो द्वारा पत्थरगढी के दौरान विपक्षीगणो का कोई कब्जा नही होना बताया है तथा विपक्षी द्वारा अतिक्रमण होना बताया है। जबकि विपक्षीगण द्वारा बताया कि उक्त आराजी पर विपक्षीगणो के बाप दादाओ एवं 20–25 वर्ष पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। एडवर्स पजेशन के अनुसार उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व मे कभी आये गये नही है एवं रास्ता से संबधित प्रार्थीगणो द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अतः यह तथ्य सही है की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है एवं साथ ही प्रार्थीगण ने भी जाहिर किया है की विवाद ग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण के कब्जे काश्त मे है सुविधा एवं संतुलन सिद्धांत को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलाज सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद